संख्या- 25/2021/1365/12-3-2021-100(47)/2017

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 11 अक्टूबर, 2021**

विषय:- राज्य पोषित कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन की उपयोजना कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम 2020-21 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-ब्यूरो/535/तकनीकी प्रबंधन योजना/2021-22, दिनांक 15.09.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य पोषित कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन योजनान्तर्गत कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर एवं अक्टूबर हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 1022.63 लाख के सापेक्ष कार्य योजना के अनुसार रू0 556.57 लाख (रू0 पाँच करोड़ छप्पन लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण सुसंगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी। नियोजन विभाग के निर्देशों एवं स्वीकृत परियोजना प्रारूप का पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संदर्भ में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों/निर्धारित गाइडलाइन्स की शर्तोंे का अनुपालन किया जाएगा। धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हÈ मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहÈ रखी जायेगी। प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक का उत्तरदायित्व होगा। वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व कृषि निदेशक के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूÆत अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहÈ देता है। कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहÈ की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो। निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे। कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेÇजग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेÇजग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के कोषागार से आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कृषि निदेशक द्वारा प्रश्नगत आयोजन एवं आयोजन पर होने वाले व्यय पर सक्षम स्तर की अनुमति एवं अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जा रही है। कृषि निदेशक द्वारा प्रस्तावित धनराशि की शुद्धता एवं अनुमन्यता के परीक्षण एवं इस संबंध में संतुष्ट होने का पूर्ण दायित्व कृषि निदेशक का होगा। धनराशि के व्यय के दौरान कृषि निदेशक द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों/निर्धारित गाइडलाइन्स की शर्तों का अनुपालन किया गया है, को सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक का होगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों का अनुपालन करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

हुए किया गया है तथा प्रत्येक व्यय में निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया गया है, इसकी जिम्मेदारी कृषि निदेशक की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

4- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 06.06.1994 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उक्त सहित संगत शासनादेशों में की गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही कियें जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में नियोजन/वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा ,जिन मदों के लिए कार्ययोजना पर उक्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। योजना का मिड टर्म वैल्यूएशन किसी थर्ड पार्टी से कराया जायेगा। योजना में अपेक्षित कम्प्यूटर/हार्डवेयर की पूर्ति हेतु विभाग में अन्य योजनाओं के माध्यम से पूर्व से उपलब्ध संसाधनों के लिए उक्त योजनाओं से डबटेलिंग कर व्यय को यथासंभव नियंत्रित एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में ओवरलैपिंग नहीं होगी।

6- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी धनराशि बैंक खातों में नही रखी जायेगी, यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो, उसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

8- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। कृषि निदेशक द्वारा नियोजन विभागों के निर्देशों एवं स्वीकृत परियोजना प्रारूप का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों/निर्धारित गाइडलाइन्स के शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

9- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

10- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

11- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय/क्रय नियमों/प्रक्रिया के अनुसार व्यय करने तथा प्रत्येक व्यय में निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

12- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-07-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन योजनान्तर्गत उपर्युक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी- 1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी- 1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/ बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1- 196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-6/2020 /बी-1-218/दस- 2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव

संं0- 25/2021/1365 (1)/12-3-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालाय, कृषि भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो)/सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
7- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in